NABBING THE NARCOS

प्रेस नोट- दिनांक 24.03.2024

चरस की तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 37 किलोग्राम अवैध चरस (अनुमानित कीमत 4 करोड़ 85 लाख रूपये), 01 ब्रेजा कार (अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये), (कुल बरामदगी 05 करोड़ रूपये) 04 मोबाइल, 01 पैनकार्ड, 01 आधार कार्ड किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

आगामी लोकसभा निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत जनपद में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 24.03.2024 को एसओजी/सर्विलान्स एवं थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा थाना जसवन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत बार्डर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी, इसी दौरान 01 ब्रेजा कार आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो चालक द्वारा गाड़ी को भगाने का प्रयास किया गया जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 02 व्यक्तियों को ब्रेजा कार सहित इटावा- मैनपुरी बार्डर पर जौनई चौकी के पास से समय 03.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अभियुक्तों से नाम पता पूछते हुये कार की तलाशी ली गयी तो अभियुक्त अभिलाष के कब्जे 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुये एवं कार की डिग्गी के अन्दर 01 लोहे के बॉक्स के अन्दर से 72 पैकेट अवैध चरस बरामद की गयी, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने बताया गया कि हम लोग नेपाल काठमाण्डू से चरस को खरीदकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में तस्करी करके धन लाभ अर्जित करते हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 8/20 एनवीपीएस एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अभिलाष सिंह पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम करारी थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर हाल निवास न्यू डिफेन्स सिटी सजारी थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र 31 वर्ष।

2.राहुल कुशवाहा पुत्र बनवारी लाल कुशवाहा निवासी रूमा थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0 44/2024 धारा 8/20 एनवीपीएस एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

बरामदगीः- (कुल बरामदगी 05 करोड़ रूपये)

1.37 किलो अवैध चरस (अनुमानित कीमत 4 करोड़ 85 लाख रूपये)

2.01 ब्रेजा कार नं0 (UP 77X 8283 अनुमानित कीमत 15 लाख रूपये)

3.04 मोबाइल

4.01 एटीएम कार्ड

5.01 पैनकार्ड

पुलिस टीम- प्रथम टीमः- उ0नि0 जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 नागेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय टीमः- श्री विवेक जावला क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर, निरी0 कपिल दुबे प्रभारी थाना जसवन्तनगर, उ0नि0 अतुल कुमार, हे0का0 अभिषेक कुमार पाण्डेय, का0 धीरेन्द्र, का0 रविन्द्र, का0 हेमन्त वर्मा, का0 आशीष सहरावत।

नोटः- पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25,000/- रूपये से पुरस्कृत किया गया।